राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक 19(3) राज-6/2002/3 जयपुर दिनांक 15-2-05

समस्त जिला कलेक्टर

राजस्थान ।

परिपत्र

विषय:- निजी विद्यालय को भूमि का संपरिवर्तन नियम 1992 के नियम 2(बी) के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ मानने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प० 19(3) राज-6/2002/14 दिनांक 22-7-04 में आंशिक संशोधन कर यह निर्देश दिये जाते है कि ऐसी शिक्षण संस्थाए जो कि सोसाईटीज और ट्रस्ट के द्वारा चलाई जा रही है और जिनको अलाभकारी आयकर की छूट का प्रमाण पत्र प्राप्त है तो ऐसी संस्थाओं को जन उपयोगी उद्देश्यीय संस्थाओं की परिभाषा में माना जाना चाहिए और उनके द्वारा जिस भूमि का रूपान्तरण आदि करवाया गया है उस पर वाणिज्यिक दरें लागू नहीं की जाकर जन उपयोगी उद्देश्य की दरें लागू होगी ।

उपरोक्त के अलावा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं पर विभागीय परिपत्र दिनांक 22-7-04 के अनुसार वाणिज्यिक दरें लागू होगी ।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. निबंधक राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान ।
2. समस्त उप शासन सचिव राजस्व विभाग

उप शासन सचिव